भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

Title: Press Release

Reference No.:2020 **Date:**26/08/2020

Press Release regarding valid PUC certificate at the time of renewal of motor vehicle insurance

सन्दर्भ सं / **Ref. No:2020** दिनांक / **Date:26-08-2020**

मोटर वाहन बीमा के नवीकरण के समय विधिमान्य पीयूसी प्रमाणपत्र के संबंध में
प्रेस प्रकाशनी

Press Release regarding valid PUC certificate at the time of renewal of motor vehicle insurance

1. प्राधिकरण ने सभी साधारण बीमा कंपनियों को 1985 के डब्ल्यूपी (सी) सं. 13029 (एम.सी. मेहता बनाम भारतीय संघ) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश को सूचित करते हुए यह सुनिश्चित करने के लिए कि मोटर वाहन बीमा के नवीकरण के समय विधिमान्य पीयूसी प्रमाणपत्र अनिवार्यतः होना चाहिए, एक परिपत्र 6 जुलाई 2018 को जारी किया था। यह बात 20 अगस्त 2020 को एक अन्य परिपत्र के द्वारा दोहराई गई है।
The Authority had issued a circular on 6th July, 2018 conveying the directive of the Hon'ble Supreme Court in WP(C) No.13029 of 1985 (M.C. Mehta Vs Union of India) to all General Insurance companies to ensure that the vehicle must have a valid PUC certificate at the time of renewal of motor vehicle insurance. This has been reiterated through another circular on 20th August, 2020.

2. तथापि, इस आशय की कुछ भ्रामक मीडिया रिपोर्टें हैं कि यदि दुर्घटना के समय विधिमान्य पीयूसी प्रमाणपत्र नहीं है, तो मोटर बीमा पालिसी के अंतर्गत दावा देय नहीं है।
However, there are some misleading media reports to the effect that if there is no valid PUC certificate at the time of accident, claim under a motor insurance policy is not payable.

3. इसके द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि विधिमान्य पीयूसी प्रमाणपत्र धारण न करना किसी मोटर बीमा पालिसी के अंतर्गत किसी दावे को अस्वीकार करने के लिए युक्तियुक्त कारण नहीं है।
It is hereby clarified that not holding a valid PUC certificate is not a valid reason for denying any claim under a motor insurance policy.